जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः— ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2025 / डी— 605　　　　दिनांकः— 21/5/2026

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

मैसर्स जय शारदे डवलपर्स एल.एल.पी.
पार्टनर श्री पीयूष सेवर,
फ्लेट नम्बर एलजी—01, प्लॉट नं. ए—129,
ए—130 डी (एस.पी.), मांग्यावास,
मोनिका विहार—II, मानसरोवर, जयपुर।

विषयः— मैसर्स जय शारदे डवलपर्स एल.एल.पी. पार्टनर पीयूष सेवर, खसरा नम्बर 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 ग्राम—गोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 338वीं बैठक दिनांक 17.02.2026 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती हैः—

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	3802.08 व.मी. (जारी लीजडीड अनुसार) 657.92 व.मी. (सड़क मार्गाधिकार में समर्पित)	
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	18 मीटर	
3.	फ्रीहोल्ड पट्टा जारी दिनांक	11.09.2025	**भू—उपयोगः—** आवासीय
4.	पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन	एकल पट्टा	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण, सी.ए. / 99 / 25451	
7.	वार्ड नम्बर	93	
8.	पिन कोड	303905	

अनुमोदित मानदण्डः—

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 20.05.2033 तक** प्रभावी होगी।			
2.	सैटबैक	सामने—I (18 mt. wide road)	पार्श्व—I	पार्श्व—II	पीछे
		9.14 मी.	9.14 मी.	9.14 मी.	9.14 मी.
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	33530.09 व.मी.			
4.	बी.ए.आर.	6.24 (23741.33 व.मी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	39.69 प्रतिशत (1509.12 व.मी.)			
6.	ऊँचाई	1.07 मी. (प्लिन्थ) + 4.34 मी. (स्टिल्ट) + 35.28 मी. (प्रथम से 12 तल) + 6.00 मी.(ममटी / मशीन रूम / वाटर टैंक) कुल 46.69 मीटर			
7.	पार्किंग	कार		स्कूटर	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल		
		213	—	44	227.66 ईसीयू

तथ्यः—

1.	प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	338वीं बैठक दिनांक 17.02.2026

RajKaj Ref No.:
22139297

Signed by: ANKUR DADHEECH, Additional Chief town Planner
Date: 2026-05-21 18:08:52 +05:30

v-1.0

अनापत्ति प्रमाण पत्रः—

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 06.01.2026 के अनुसार 60.00 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है जिसकी वैधता अवधि दिनांक 05.01.2034 तक प्रभावी है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है :— 26'49'30.06"N 75°44'22.19"E

सामान्य शर्तेः—

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–08, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
4. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. परियोजना में भूखण्ड़ के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2025 से संबंधित प्रावधान संख्या 8.0 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 8.3 (वर्षा जल संग्रहण), 7.5 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 8.2 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 8.5 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 8.4 (सौर ऊर्जा संयत्र), व 7.6 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 7.2 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 14 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 14.3 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
7. भवन विनियम–2025 के बिन्दु संख्या 5.4(xi) की अनुपालना में "30 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों में अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात् संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चर डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्तुत किये जाने होंगें।"
8. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 5.4(xii) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवायें, वातानुकूल सेवायें आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सेट जो कि आवेदित परियोजना के डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबन्धित किये गये काउसिंल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के एमईपी कंसलटेन्ट से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रुप से नगरीय निकाय में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्तुत किये जाने होंगें।
9. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 5.4(xiii) के अनुसार आप द्वारा बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 6.14 (V) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
11. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 7.7 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
14. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।

RajKaj Ref No.:
22139297

Signed by: ANKUR DADHEECH, Additional Chief town Planner
Date: 2026-05-21 18:08:52 +05:30

15. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
16. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
17. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
18. भवन विनियम 2025 के विनियम संख्या 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
24. भवन विनियम–2025 एवं एनबीसी के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
25. बेसमेन्ट की खुदाई एवं भवन निर्माण के दौरान पडौसी भूखण्डधारियों को किसी प्रकार की हानि/क्षति होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का कोई हर्जा खर्चा या हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
26. उक्त स्वीकृति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। उक्त अनापत्ति में वर्णित शर्ते/प्रावधान प्रश्नगत प्रकरण पर प्रभावी रहेगें।
27. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्तेः–

1. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 20.05.2033 तक** प्रभावी होगी।
2. भूखण्ड का आवासीय लीजडीड दिनांक 11.09.2025 को जारी किया गया है। भूखण्ड की निर्माण की अवधि दिनांक 10.09.2028 तक होगी।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार चार उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही हैः–

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
AU SMALL FINANCE BANK	000033	83,91,328/–	द्वितीय	06.09.2026
	000034	83,91,328/–	तृतीय	06.03.2027
	000035	83,91,328/–	चतुर्थ	06.09.2027
	000036	83,91,328/–	पंचम	06.03.2028

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेंगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

4. प्रकरण में आप द्वारा बेटरमेंट लेवी हेतु अतिरिक्त बी.ए.आर. क्षेत्र (16137.17 व.मी.) के न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्रफल (2420.57 व.मी.) के बराबर क्षेत्रफल की एवज में क्षेत्रफल 2475.29 व.मी. की इकाईयां प्राधिकरण में

रहन रखी गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	फ्लोर संख्या	फ्लैट संख्या	बी.ए.आर. क्षेत्रफल
1	तृतीय तल	301 से 308	868.42 व.मी.
2	षष्ठम तल	601 से 608	868.42 व.मी.
3	दशम् तल	1002 से 1008	738.45 व.मी.
कुल फ्लैटस संख्या–23			2475.29 व.मी.

5. यदि निर्धारित अवधि में नियमानुसार राशि जमा नहीं कराई जाती है तो रहन रखी गई इकाईयों पर प्राधिकरण द्वारा कब्जा कर बेचान किया जा सकेगा। आप द्वारा निर्धारित अवधि में बेटरमेन्ट लेवी की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज (यदि देय हो तो) जमा करवाये जाने के उपरान्त प्राधिकरण से रहनमुक्त प्रमाण प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। आप द्वारा प्राधिकरण में रहन हेतु रखी गई ईकाईयों की बुकिंग/बेचान नही किया जावेगा एवं ना ही उक्त ईकाईयों को किसी अन्य को रहन हेतु रखा जावेगा।
6. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (14 मानचित्र)

भवदीय

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त जोन–08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर लेख हैं कि भवन विनियम–2025 के प्रावधान संख्या–5.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाऐं तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेलवे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6( )/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
7. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
8. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान को उक्तानुसार उल्लेखित विशेष शर्तो के बिन्दु संख्या 04 में अंकित प्राधिकरण में रहन रखी गई इकाईयों की रजिस्ट्री प्राधिकरण के अदेय प्रमाण पत्र/रहन मुक्त प्रमाण पत्र के पश्चात ही की जावें।
9. लेखाकार, बीपीसी–बीपी को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

RajKaj Ref No.:
22139297

Signed by: ANKUR DADHEECH, Additional Chief town Planner
Date: 2026-05-21 18:08:52 +05:30

v-1.0

SHEET NO-01

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL KHASRA AREA = 4460.00 SQ.MT. ROAD SURRENDER AREA = 657.92 SQ.MT. NET PLOT AREA = 3802.08 SQ.MT.
2.	STANDARD B.A.R. = 3802.08 X 2.00 = 7604.16 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 23741.33 SQ.MT. (6.24) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (23741.33) - (7604.16) = 16137.17 SQ.MT.
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = 40% (1520.83 SQ.MT.)
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 39.69% (1509.12 SQ.MT.)
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA IF BAR IS MORE THAN 4.0 THAN 15 % OF PLOT AREA = 570.31 Sq.Mt.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (15.06 %) =572.96 SQ.MT. (77.43 + 117.02 +303.41 +75.10)
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = Plinth (1.20) + Stilt (3.50) +(1.5 X Road Width + Front Setback) +7.75 (Mumty & Machine Room) = 1.20 + 3.50 + (1.5 x 18 + 9.14) + 7.75 = 1.20 + 3.50 + 36.14+7.75 = 48.59 M
9.	PROPOSED HEIGHT : = Plinth (1.07)+Stilt (4.34 {3.50 m Free +0.84 m Count in Building Height }) + 35.28 (1st to 12th Floor) + 6.00 (Mumty & Machine Room) = Plinth (1.07)+3.50 + 36.12 +6.00 (Mumty & Machine Room) = 46.69 M
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL =23741.33 / 115 =206.44+10% (VISITOR PARKING) REQUIRED ECU = 227.08 (CAR = 171, SCOOTER =169) PROPOSED NUMBER OF FLATS/ UNITS= 192 Minimum of 1Car Required Per Units = 192 Visitor Car Parking = 16 Total Minium Car Parking Required = 208
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR =213, SCOOTER =44 (227.66 E.C.U.)
12.	ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED 10% OF REQUIRED ECU = 23 ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 23
13.	FACILITIS AREA REQUIRED:- REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. = 474.82 Sq.Mt.
14.	PROPOSED FACILITIES (2.49%) = 592.05 SQ.MT.
15.	MAXIMUM BAR ON STILT FLOOR (30% OF STILT AREA)= 30% OF 1787.10 SQ.MT. =536.13 SQ.MT. PROPOSED BAR ON STILT FLOOR =510.0 SQ.MT. (28.53%)

	CAR		SCOOTERS
	Via Driveway	Back to Back	
Lower Basement	82	2	15
Upper Basement	69	3	11
Stilt Floor	52	0	18
Open	5	0	0
TOTAL	208	5	44

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	FIRE ESCAPE STAIR	ARCHITECTURAL ELEMENT/ CHAJJA	SERVICE SHAFT	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES
1	LOWER BASEMENT	3098.38	-	-	-	18.42	-	-
2	UPPER BASEMENT	3053.71	-	-	-	18.42	82.05	82.05
3	STILT FLOOR	2152.89	-	-	-	18.42	510.0	510.0
	GUARD ROOM, DG TRANSFORMER	13.47	-	-	-	-	-	-
4	1st FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
5	2nd FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
6	3rd FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
7	4th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
8	5th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
9	6th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
10	7th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
11	8th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
12	9th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
13	10th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
14	11th FLOOR	2017.93	31.86	58.85	1.42	18.42	1907.38	-
15	12th FLOOR	2152.33	31.86	193.25	1.42	18.42	1907.38	-
16	TERRACE	-	PRIVATE TERRACE AREA = 521.45 Sq.Mt.				260.72	-
17	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT	862.08	-	-	-	-	-	-
18	TOTAL	33530.09	-	-	-	-	23741.33	592.05

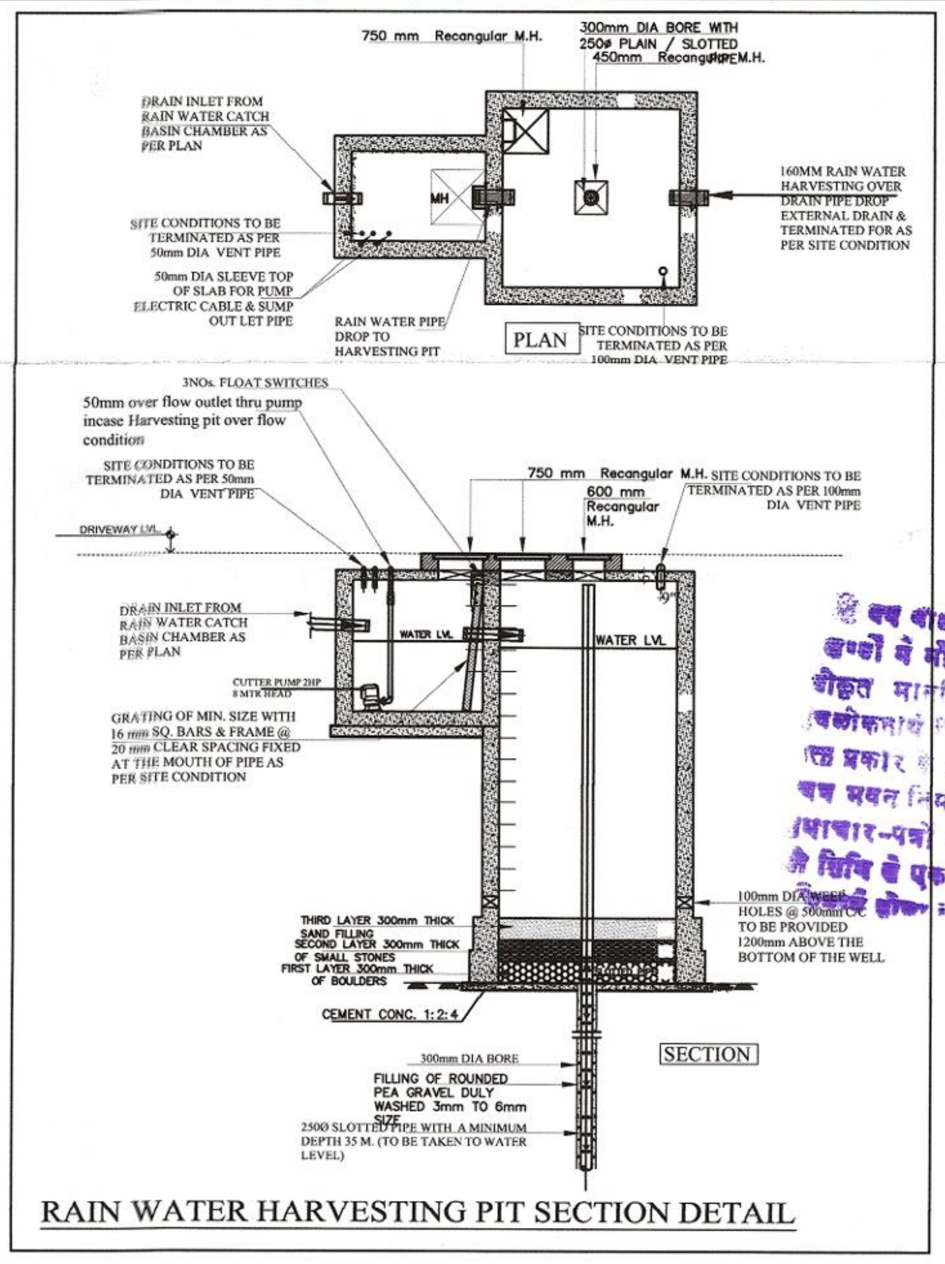

RAIN WATER HARVESTING PIT SECTION DETAIL

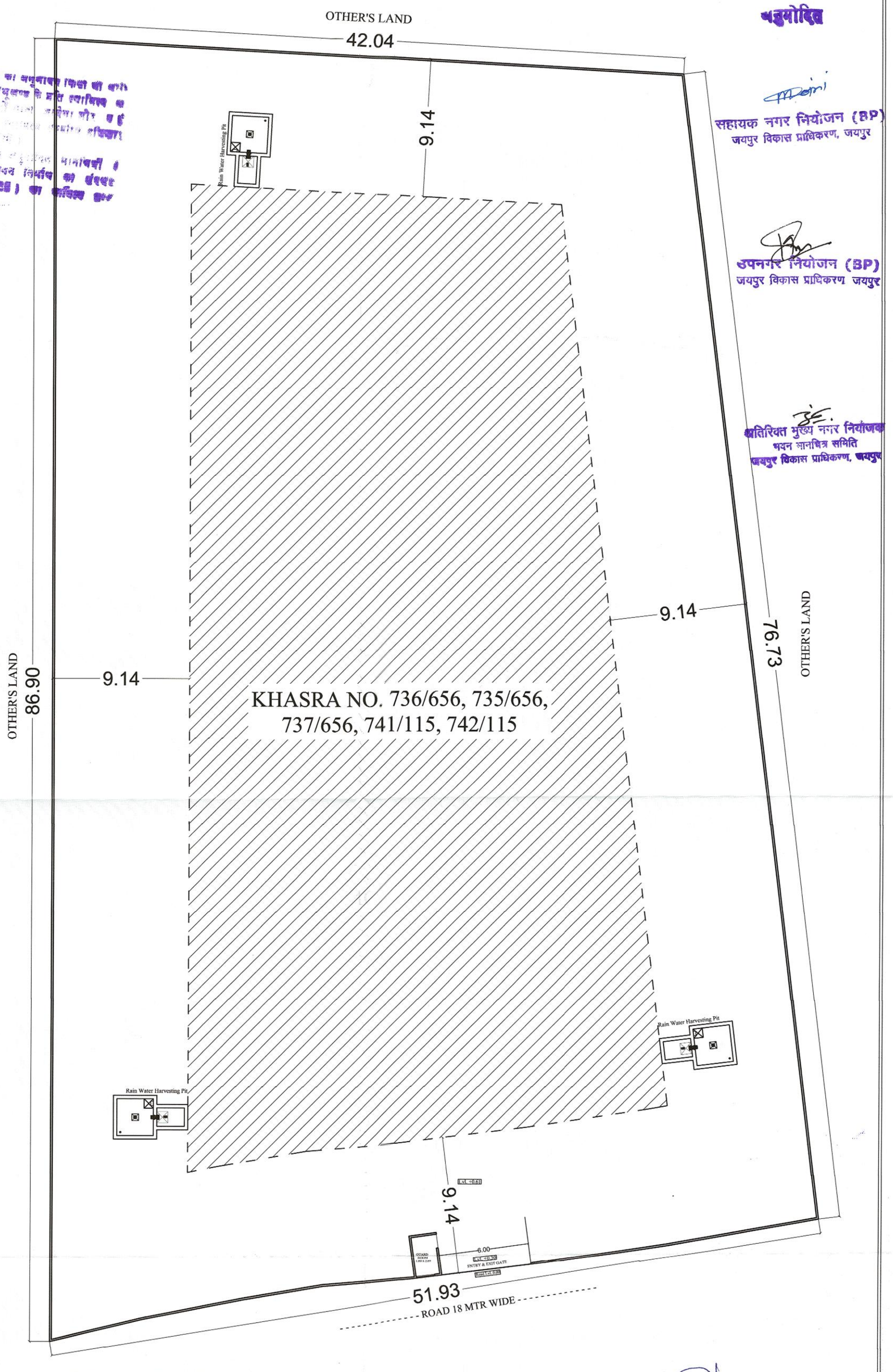

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN (SCALE 1:200)

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:100

W / S / N / E	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,	For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-02

SCALE = 1:100

LOWER BASMENT PLAN WITH CIRCULATION

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR.	For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-03

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:100

UPPER BASMENT PLAN WITH CIRCULATION

W / S / N / E	PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,	OWNER For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP Partner	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-04

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

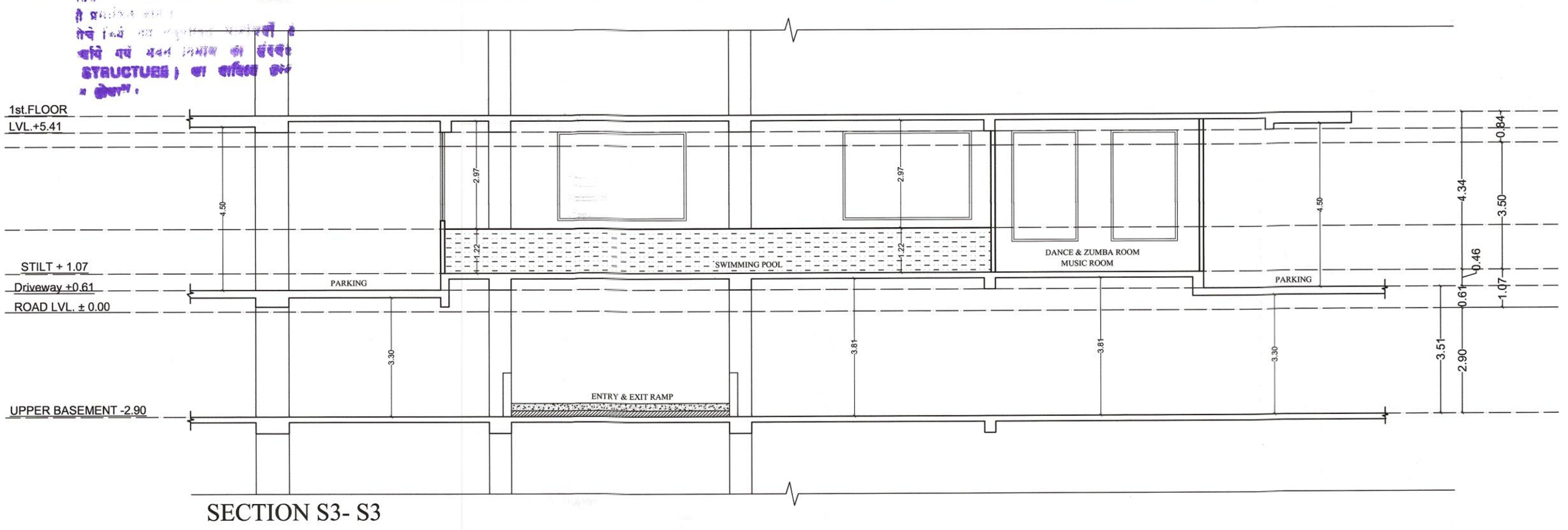

SECTION S3- S3

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:100

STILT PLAN WITH CIRCULATION

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR.	For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-05

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1st Floor Plan

OWNER

For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

अनुमोदित

SHEET NO-06

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2nd, 4th, 5th, 7th, 8th 9th & 11th Floor Plan

OWNER

For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

अनुमोदित

SHEET NO-07

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3rd & 6th Floor Plan

FLATS MORTGAGED FOR BETTERMENT LEVY

DETAIL OF FLATS MORTGAGED FOR BETTERMENT LEVY

Proposed Additional B.A.R. = (23741.33) - (7604.16) = 16137.17 sq.mt.

15% Of Additional B.A.R. = 2,420.57 Sq.mt.

S.No.	Floor	Flat Number	Builtup Area(Sq.Mt.)
1	3rd	301	129.97
2	3rd	302	101.75
3	3rd	303	101.75
4	3rd	304	101.75
5	3rd	305	101.75
6	3rd	306	101.75
7	3rd	307	101.75
8	3rd	308	127.95
9	6th	601	129.97
10	6th	602	101.75
11	6th	603	101.75
12	6th	604	101.75
13	6th	605	101.75
14	6th	606	101.75
15	6th	607	101.75
16	6th	608	127.95
17	10th	1002	101.75
18	10th	1003	101.75
19	10th	1004	101.75
20	10th	1005	101.75
21	10th	1006	101.75
22	10th	1007	101.75
23	10th	1008	127.95
TOTAL			2475.29

OWNER

For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

अनुमोदित

SHEET NO-08

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

10th Floor Plan

FLATS MORTGAGED FOR BETTERMENT LEVY

DETAIL OF FLATS MORTGAGED FOR BETTERMENT LEVY

Proposed Additional B.A.R. = (23741.33) - (7604.16) = 16137.17 sq.mt.
15% Of Additional B.A.R. = 2,420.57 Sq.mt.

S.No.	Floor	Flat Number	Builtup Area(Sq.Mt.)
1	3rd	301	129.97
2	3rd	302	101.75
3	3rd	303	101.75
4	3rd	304	101.75
5	3rd	305	101.75
6	3rd	306	101.75
7	3rd	307	101.75
8	3rd	308	127.95
9	6th	601	129.97
10	6th	602	101.75
11	6th	603	101.75
12	6th	604	101.75
13	6th	605	101.75
14	6th	606	101.75
15	6th	607	101.75
16	6th	608	127.95
17	10th	1002	101.75
18	10th	1003	101.75
19	10th	1004	101.75
20	10th	1005	101.75
21	10th	1006	101.75
22	10th	1007	101.75
23	10th	1008	127.95
TOTAL			2475.29

OWNER

For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP
Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,

ARCHITECT :-

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-09

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

12th Floor Plan

OWNER

For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-10

Terrace Area =2153.58 Sq.Mt.
Maximum Permissible Private Terrace Area (25%) = 538.39 Sq.Mt.
Proposed Private Terrace Area (24.21%) = 521.45 Sq.Mt.

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

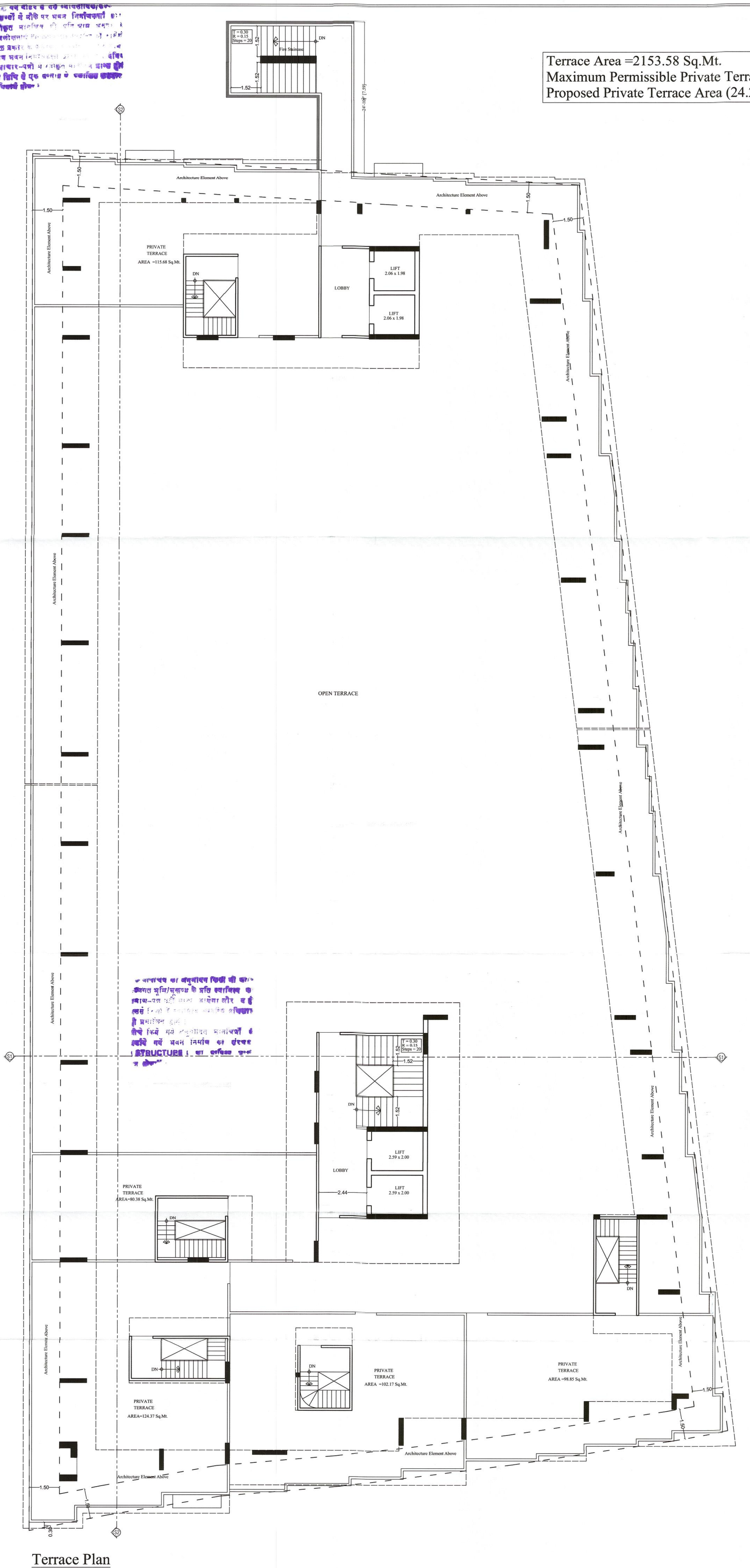

Terrace Plan

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

OWNER

For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-11

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Mumty Plan

OWNER

For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

Architect
CA/99/25451

SHEET NO-12

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

EAST SIDE ELEVATION

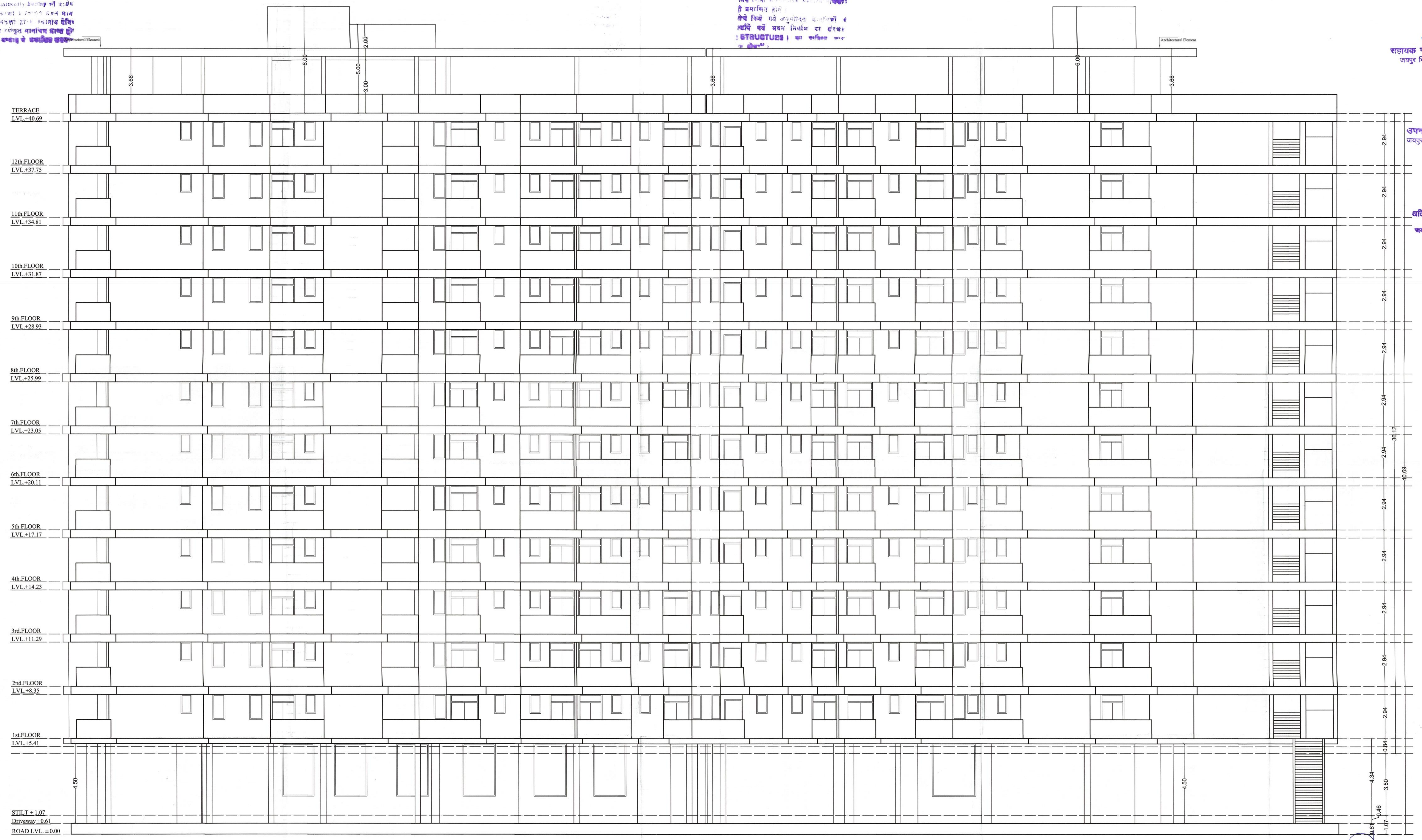

NORTH SIDE ELEVATION

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR.	For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHEET NO-13

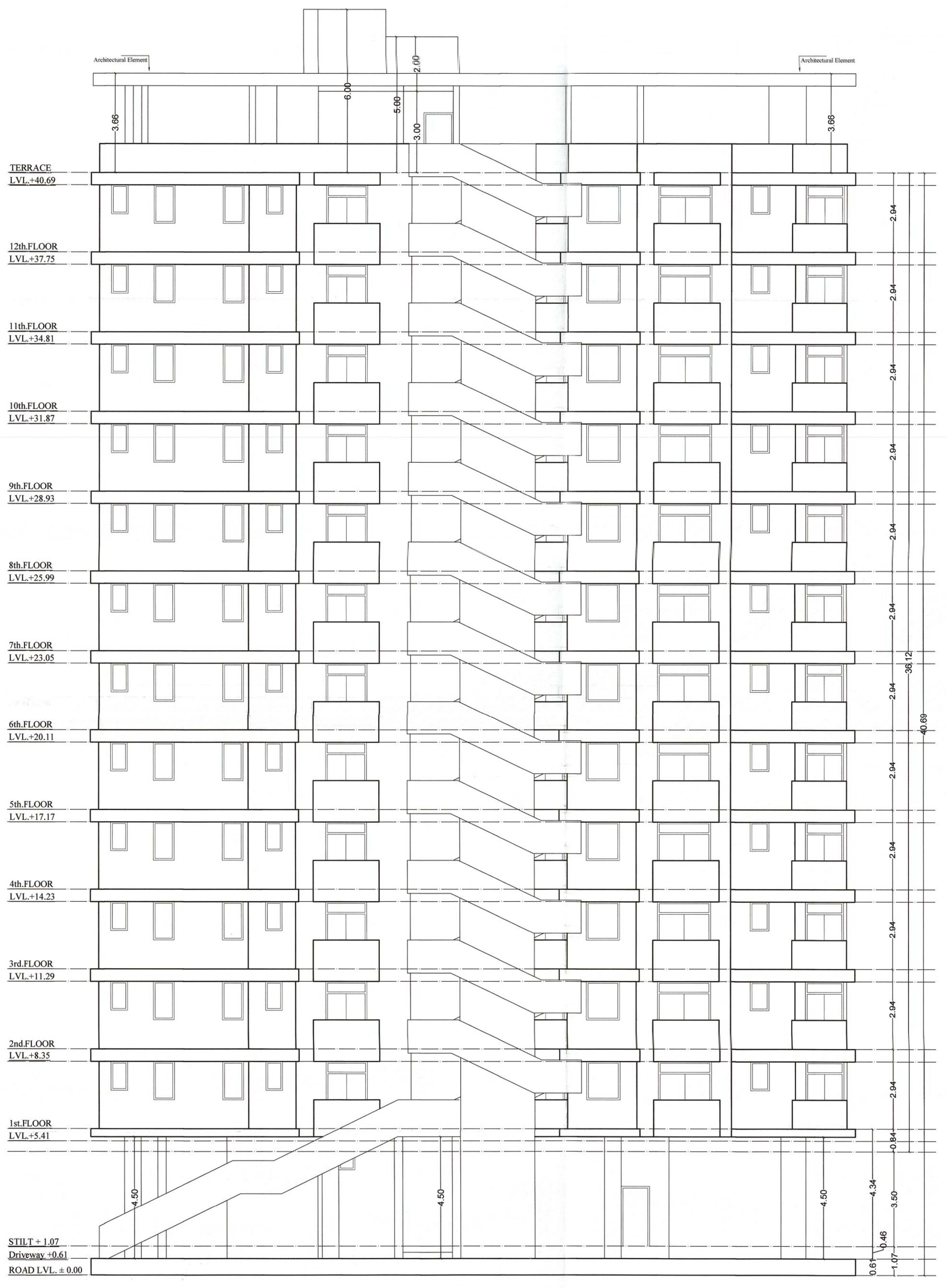

WEST SIDE ELEVATION

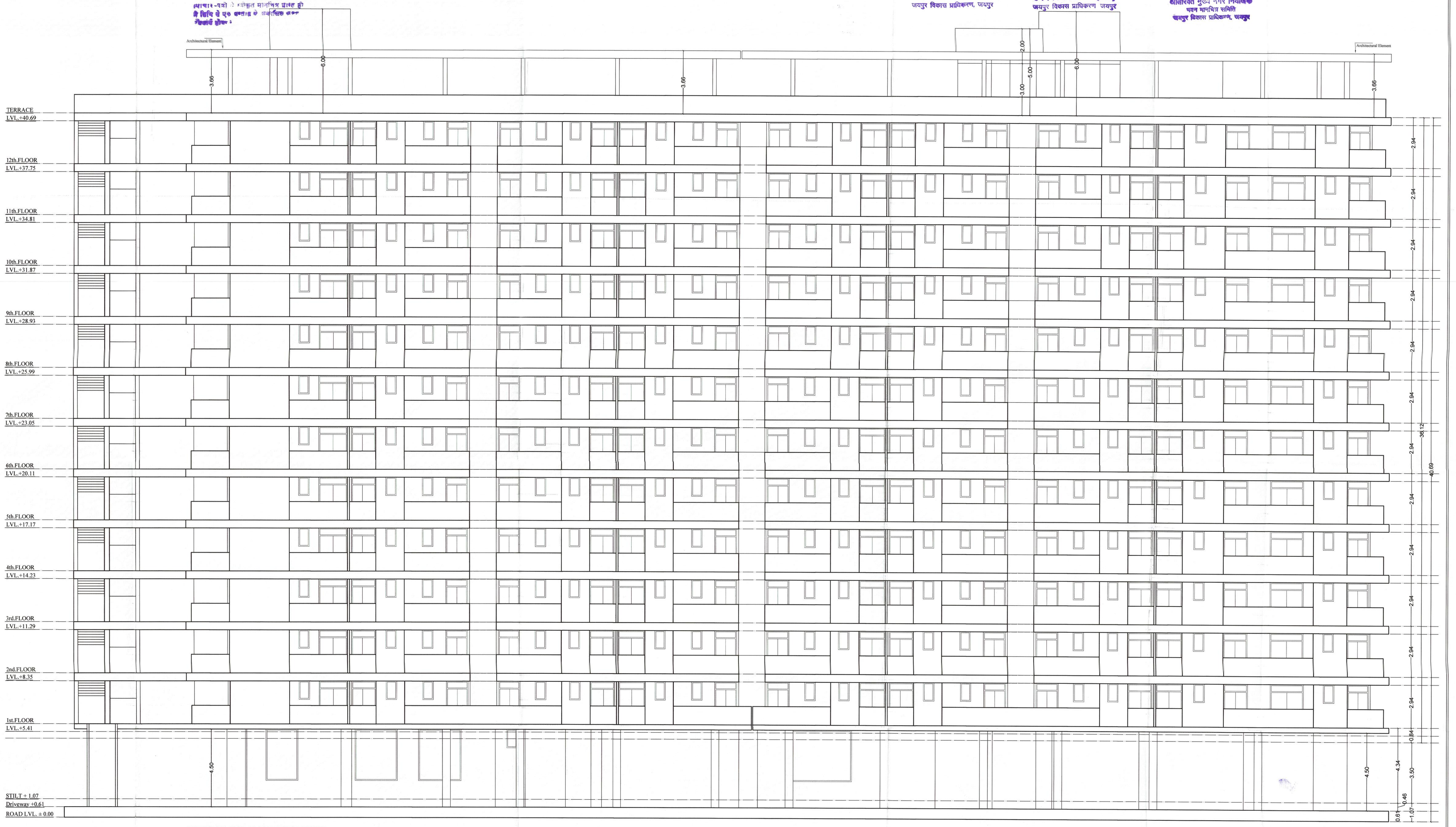

SOUTH SIDE ELEVATION

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR.	For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

सहायक नगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

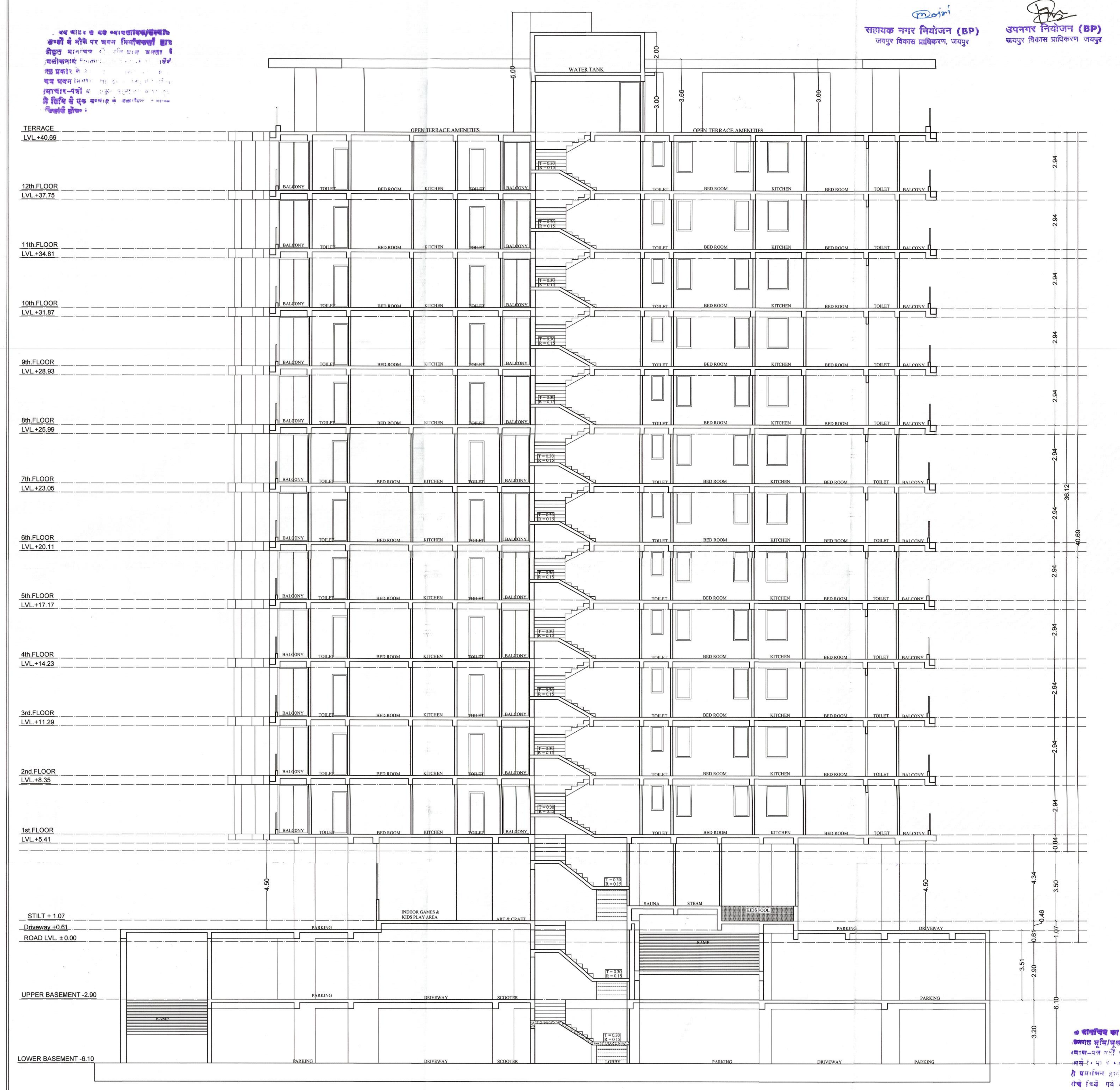

SECTION S-1

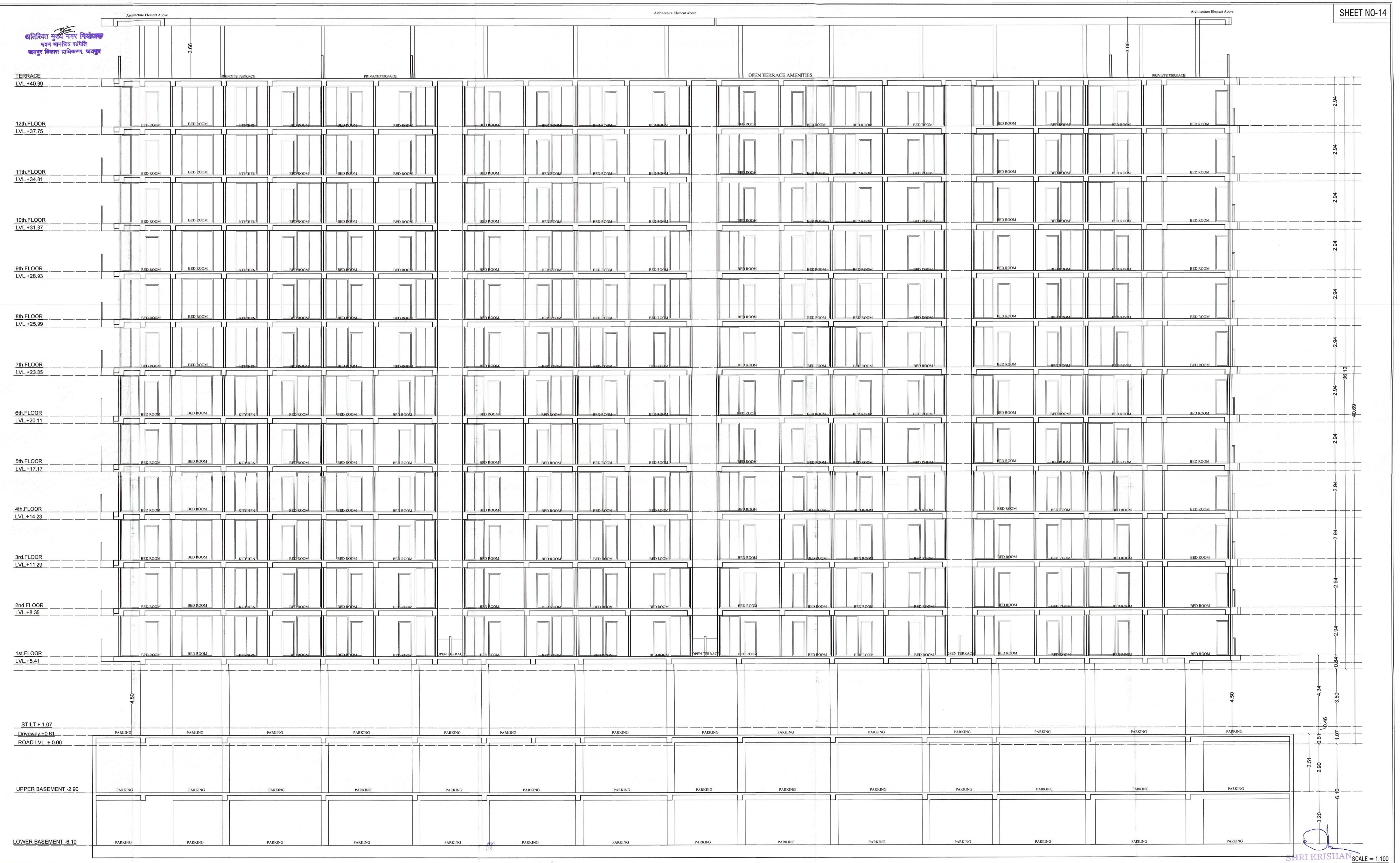

SECTION S-2

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO. 736/656, 735/656, 737/656, 741/115, 742/115 , AT VILLAGE - MOHANPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR,	For JAI SHARDE DEVELOPERS LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com